पत्रांक–16 / प्र0सु0–02–04 / 2013 का0 1858 (अ0मु0)

**झारखण्ड सरकार**

**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।**

प्रेषक,

एस0के0 शतपथी,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / सभी प्रधान सचिव /
सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष,
सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 24/02/2014

विषय :– आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली अन्तर्गत उपस्थिति की दैनिक समीक्षा के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक–1275, दिनांक 11.02.2014

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विभागीय पत्रांक–1275, दिनांक 11.02.2014 की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली अन्तर्गत विभागवार उपस्थिति की समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि बहुत से कर्मचारी / पदाधिकारी अभी भी समय से उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। एक अध्ययन के अनुसार दिनांक 17.02.2014 को कुल 4940 पंजीकृत कर्मियों में से 10:45 बजे पूर्वाह्न 3877, 11 बजे पूर्वाह्न 3923, 12:30 बजे अपराह्न 3996 एवं 2:30 बजे अपराह्न 4052 कर्मियों की उपस्थिति दर्ज पायी गई। इससे यह प्रदर्शित होता है कि कतिपय कर्मी समय से कार्यालय नहीं पहुँच रहे हैं।

अतएव अनुरोध है कि विभागीय स्थापना शाखा प्रभारी को उपस्थिति की दैनिक समीक्षा AEBAS के वेबलिंक से आंकड़े प्राप्त करते हुए करने का निदेश देने की कृपा की जाय तथा विलम्ब से कार्यालय में उपस्थित होने वाले कर्मियों के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

**(एस0के0 शतपथी)**
सरकार के प्रधान सचिव।